आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(4)2020 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवस / 2496-50 दिनांक : 13/7/23

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक,मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा
उप वन संरक्षक, जयपुर
उप वन संरक्षक वन्यजीव आबू पर्वत, सिरोही / कोटा
उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, जोधपुर

विषयः– कार्मिक शाखा का कार्य मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारियों से ही निष्पादित करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संज्ञान में आया हैं कि आपके कार्यालय में कार्मिक शाखा का कार्य मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारी के द्वारा निष्पादित नहीं किया जाकर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों (वनरक्षक, सहायक वनपाल आदि) के द्वारा किया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है।

कार्मिक शाखा के द्वारा राजकीय लोक सेवकों से सम्बंधित कार्य जैसे विभागीय पदोन्नति समिति, सेवा पुस्तिका का संधारण, नियुक्ति आदेश, वेतन वृद्धि एवं चयनित वेतनमान, अवकाश प्रकरण आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। इस हेतु कार्मिक शाखा का प्रभार एक दक्ष लोकसेवक के पास होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बावजूद आपके द्वारा कार्मिक शाखा का कार्य मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों से ना करवा कर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों (वनरक्षक, सहायक वनपाल आदि) के द्वारा संपादित करवाया जा रहा हैं। फलस्वरूप राजकीय लोक सेवकों के कार्य समय पर एवं सही रूप से संपादित नहीं होते हैं।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 5295 दिनांक 19–09–2019 एवं पत्र क्रमांक 7702–7812 दिनांक 23–12–2019 द्वारा कार्यालयों में वन अधीनस्थ कर्मचारियों को मंत्रालयिक संवर्ग संबंधित कार्य से हटाए जाकर, वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु फील्ड पोस्टिंग हेतु तत्काल लगाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में यथा सम्भव वरिष्ठ सहायक से उच्च पद के मंत्रालयिक कर्मचारियों को कार्मिक शाखा का प्रभार एवं उप वन संरक्षक कार्यालयों में यथा सम्भव वरिष्ठ सहायक एवं उच्च पद के मंत्रालयिक कर्मचारी को कार्मिक शाखा का प्रभार दिया जावे ताकि राजकीय लोकसेवकों के कार्य समय पर एवं त्रुटि रहित सम्पादित हो सके।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सात दिवस में अवगत करावे।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(4)2020 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवस / 2501-2612 दिनांक : 13/7/23

प्रतिलिपी :

1. समस्त वनाधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित हैं।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.07.12 14:43:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4257321